**प्राथमिकता / समयबद्ध**
**संख्या– 1321 / 68–4–2018**

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ, दिनांकः 20 सितम्बर, 2018

विषय– उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 ऑनलाइन आवेदन के अन्तर्गत वर्णित पहचान पत्र के प्रकार में वोटर आईडी कार्ड को सम्मिलित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्र संख्या–गोप / टी0ई0टी0–18 / 9987–90 / 2018–19 दिनांक 20.09.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 शिक्षक पात्रता (यू0पी0टी0ई0टी0) के आयोजन हेतु संशोधित / नवीन मार्गदर्शी सिद्धान्त के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–1263 / 68–4–2018–2750 / 2012 का दिनांक 14.09.2018 के साथ संलग्न मार्गदर्शी सिद्धान्त के बिन्दु संख्या–15.1 के तथा परिशिष्ट–II के बिन्दु संख्या–2 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता हैः–

| | वर्तमान प्राविधान | संशोधित प्राविधान |
|---|---|---|
| 1 | 15.1–परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित पहचान पत्र (ड्राइविंग लाईसेन्स, पैनकार्ड, पासपोर्ट) की मूल प्रति तथा निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण पत्र को साथ लाना अनिवार्य होगा–<br>(i) प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर की निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति।<br>(ii) सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्था के रजिस्ट्रार / सक्षम अधिकारी द्वारा इंटर नेट से प्राप्त अंकपत्र की प्रमाणित प्रति। | 15.1–परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित पहचान पत्र (ड्राइविंग लाईसेन्स, पैनकार्ड, पासपोर्ट, **वोटर आईडी कार्ड**) की मूल प्रति तथा निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण पत्र को साथ लाना अनिवार्य होगा–<br>(i) प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर की निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति।<br>(ii) सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्था के रजिस्ट्रार / सक्षम अधिकारी द्वारा इंटर नेट से प्राप्त अंकपत्र की प्रमाणित प्रति। |
| 2 | परिशिष्ट–II | परिशिष्ट–II |

Su.del.Go

–2/

Scanned by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | 2. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित पहचान पत्र (ड्राइविंग लाईसेन्स, पैनकार्ड, पासपोर्ट) की मूल प्रति तथा निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण पत्र को साथ लाना अनिवार्य होगा–<br>(i) प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर की निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति।<br>(ii) सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्था के रजिस्ट्रार/सक्षम अधिकारी द्वारा इंटर नेट से प्राप्त अंकपत्र की प्रमाणित प्रति। | 2. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित पहचान पत्र (ड्राइविंग लाईसेन्स, पैनकार्ड, पासपोर्ट **वोटर आईडी कार्ड**) की मूल प्रति तथा निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण पत्र को साथ लाना अनिवार्य होगा–<br>(i) प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर की निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति।<br>(ii) सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्था के रजिस्ट्रार/सक्षम अधिकारी द्वारा इंटर नेट से प्राप्त अंकपत्र की प्रमाणित प्रति। |

3– शासनादेश संख्या–1263/68–4–2018–2750/2012 का दिनांक 14.09.2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय । शासनादेश दिनांक 14.09.2018 की अंन्य शर्तें एवं प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,
(चन्द्रशेखर)
विशेष सचिव।
20/9/18

**संख्या एवं दिनांक तदैव– :**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) निदेशक, माध्यमिक/बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(6) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(7) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
(8) समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
(9) समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
(10) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
(11) समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
(12) समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
(13) समस्त अनुभाग, शिक्षा विभाग।
(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
/
(चन्द्रशेखर)
विशेष सचिव।

Su.del.Go

Scanned by CamScanner